कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, अकलेरा

RRSMP योजना के तहत एन.एच.–12 किमी. 358/500 से नयागाँव भानपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 0.20 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के कम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैब पोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 को इस खण्ड के द्वारा प्रस्ताव को रजिस्टर किया गया था। जिसे आपके द्वारा प्रस्ताव मे आक्षेप लगाकर लौटा दिया गया था। उक्त प्रस्ताव की कमियो को निम्नानुसार दुरस्त कराकर उन्हे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।–

1. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु संख्या A-1(iii) में उक्त सड़क के निर्माण की परियोजना का संक्षिप्त विवरण दे दिया गया है।

2. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु संख्या A-2 (i) में बतौर प्रयोक्ता अभिकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान अधिषाशी अभियन्ता खण्ड अकलेरा के नाम का उल्लेख कर दिया गया है।

3. इस विभाग के द्वारा पुर्व मे जिन परियोजनाओ का वनभुमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया था उनका हवाला प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. A-2(xiii) एवं B-1(i) में "Yes" अंकित कर दुरस्त कर दिया गया है, बिन्दु संख्या A-2(xiii) एवं B-1(i) मे सम्पुर्ण विवरण दे दिया गया है।

4. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. B-2 में दी गई सारिणियों में वन भुमि एवं गैर वन भूमि में परियोजना की कियान्विति से संबंधित समस्त सूचनाओं का विवरण सारणी मे दर्शा दिया गया है।

5. बिन्दु सं. B-2.3 में दी गई सारिणी में प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु ग्राम वार प्रभावित वन भूमि एवं गैर वन भूमि के विवरण सारणी मे उचित रूप से दर्शा दिया गया है।

6. बिन्दु सं. B-2.4 में दी गई सारिणी में गैर वन भूमि में प्रस्तावित सड़क का कम्पोनेंट दर्शा दिया गया है।

7. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. C-ii(b) के कम मे ं अपलोड की गई kml फाईल मे ं सम्पूर्ण परियोजना के तहत निर्मित की जाने वाली सड़क के मार्ग का एलान्मेन्ट एवं वांछित वन क्षेत्र एवं उसके आस–पास की वन भूमि/सीमा को स्पष्टतः दर्शा दिया गया है। परियोजना का आरम्भ एवं खत्म होने का स्थान भी kml फाईल मे स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है। सड़क का एलाइन्मेन्ट एवं अन्य परियोजना का एलाइन्टमेट एवं प्रभावित वन क्षैत्र की सीमा को भी kml फाईल मे भली भांति दर्शा दिया गया है।

8. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. C-(iii) के कम मे ं1:50000 पैमाने की जी.टी. शीट मे ंउक्त सड़क के संबंध में वन सीमा एवं सडक मार्ग का एलान्मेन्ट उचित रूप से मार्क कर दिया गया है।

9. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. C-(iv) के क्रम मे ं अक्षाशं एवं देशातंर को दर्शाता हुआ भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र जिसको Total Station से तैयार किया गया है। तथा जिसमें प्रस्तावित सड़क के सम्पूर्ण मार्ग को वन भूमि/सीमा सहित मय पूर्ण संकेतक मार्क कर दिया गया है, को विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अपलोड़ कर दिया गया है।

10. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. D पर उक्त सड़क का निर्माण वन भूमि में ही प्रस्तावित हैं इस सम्बन्ध में जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दिये गये हैं ।

11. प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु सं. K-(i) में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सम्पूर्ण प्रकिया के सम्पन्न किये जाने के कम में "Yes" अंकित कर दिया गया है

12. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा चाही गयी शर्तानुसार इस विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, नैट प्रैजेन्ट वैल्यु एवं अधिरोपित शर्तानुसार अन्य राशियां को भी जमा कराया जाना है। इस कम में चाहे गये शपथ पत्र (Undertakings) को विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कर अपलोड करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां, प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट, वन क्षेत्र में सड़क निर्माण की लम्बाई व चौडाई का खसरा–वार पूर्ण विवरण, वांछित न्यूनतम वन भूमि की आवश्यकता का प्रमाण पत्र, बार चार्ट जिसमे ं परियोजना से प्रभावित वन भूमि एव गैर वन भूमि को अलग–अलग रंगों में मय संकेतक दर्शाया गया है एवं परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां जो वन भूमि प्रत्यावर्तन मे ं सहायक है को भी अपलोड कर दिया गया है।

अधिषाशी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा